

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- भू.अ. / 2015 /

दिनांक:- / / 2016

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री जमकू नरि पिता श.रा. नि.
शाहरी खेज प.ह. श.रा.पुरा के राजस्व ग्राम श.रा.पुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-208
की खाना संख्या 204, 205 में जाति / नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति / नाम जमकू नरि किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति / नाम जमकू नरि का अकल राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

Lehar
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- सी.डर / 2015 / 801

दिनांक: 16 / 10 / 2015

निमित्त,

पटवार हल्का श.रा.पुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति / नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री जमकू नरि पिता श.रा.
राजस्व ग्राम शाहरी खेज प.ह. श.रा.पुरा की खाना संख्या 204, 205 में
जाति / नाम श.रा. नरि दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति / नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री जमकू नरि पिता श.रा. की
जाति / नाम जमकू नरि एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. श.रा.पुरा राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।